रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102024-257670
CG-DL-E-03102024-257670

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3915] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 1, 2024/आश्विन 9, 1946
No. 3915] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2024/ASVINA 9, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4274(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बंनिंग वन्यजीव अभयारण्य, मणिपुर के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 4028(अ), तारीख 14 दिसम्बर, 2016 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4028 (अ), तारीख 14 दिसम्बर, 2016 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 4028 (अ), तारीख 14 दिसम्बर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"**5. मानीटरी समिति.** – केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

(i)	वन संरक्षक या उप वन संरक्षक, पार्क और अभयारण्य, मणिपुर सरकार।	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	क्षेत्र का वरिष्ठ नगर नियोजक।	सदस्य, पदेन;
(iii)	वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, मणिपुर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंफाल।	सदस्य, पदेन;
(iv)	पर्यावरण या वन्य जीवन या विरासत संरक्षण सहित प्राकृतिक संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् मणिपुर सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(v)	प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी या पर्यावरण में एक विशेषज्ञ को प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् मणिपुर सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(vi)	मणिपुर राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य।	सदस्य, पदेन;
(vii)	संबंधित अपर जिला मजिस्ट्रेट या सहायक कलेक्टर	सदस्य, पदेन;
(viii)	प्रभागीय वन अधिकारी, तामेंगलांग।	सदस्य सचिव, पदेन।"

(2) मानीटरी समिति, वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय, आने वाले और उस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण को निर्दिष्ट क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, उपपैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलेक्टर या संबद्ध उप वन संरक्षक, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध या उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति, प्रत्येक मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए, आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि की अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट, इस अधिसूचना के साथ संलग्न **उपाबंध-IV** में विनिर्दिष्ट प्ररुप में, उस वर्ष की 30 जून तक मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार, मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकेगी, जैसा वह उचित समझे।"

[फा. सं. 25/19/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पणी.-मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 4028(अ) तारीख 14 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2024

S.O. 4274(E).—WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section (3) of section (3), of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Bunning Wildlife Sanctuary, Manipur in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4028 (E), dated the 14th December, 2016;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 4028 (E), dated the 14th December, 2016;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii), *vide* S.O. 4028 (E), dated the 14th December, 2016 namely:-

In the said notification, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. — The Central Government hereby constitutes Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely: -

(i)	The Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests, Park and Sanctuary, Government of Manipur.	Chairman, *ex officio*;
(ii)	Senior Town Planner of the area.	Member, *ex officio*;
(iii)	Senior Environment Engineer, Manipur State Pollution Control Board, Imphal.	Member, *ex officio*;
(iv)	One representative of a non-governmental organisation working in the field of environment or wildlife or natural conservation including heritage conservation to be nominated by the Government of Manipur after every three years.	Member;
(v)	One expert in ecology or environment from reputed institution or university to be nominated by the Government of Manipur after every three years.	Member;

(vi)	Member of Manipur State Biodiversity Board.	Member; *ex officio*;
(vii)	Concerned Additional District Magistrate or Assistant Collector.	Member; *ex officio*;
(viii)	Divisional Forest Officer, Tamenglong.	Member-Secretary; *ex-officio*;

(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the that notification.

(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case-to-case basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in proforma specified in Annexure IV.

(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions".

[F. No. 25/19/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4028 (E), dated the 14th December, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.10.03 21:53:37 +05'30'